न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 112/2011

1 पूर्णमल पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू मृतक।.

1/1 धर्मपाल पुत्र स्व. पूर्णमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

1/2 लालीबाई पुत्री स्व. पूर्णमल पत्नी हरिराम जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील बानसुर जिला अलवर।

1/3 तीजा बाई पुत्री स्व. पुर्णमल पत्नी रोहिताश जाति गुर्जर निवासी पथाना तह बुहाना जिला झुन्झुनू।

1/4 मुन्नो बाई पुत्री स्व पुर्णमल पत्नी सुवालाल जाति गुर्जर निवासी पथाना तह बुहाना जिला झुन्झुनू।

2 लेखुराम पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

3 कन्हैयालाल पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

4 बसेसर पुत्र रामजीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

अपीलांट

बनाम

1 तोताराम पुत्र हरनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

2 चन्द्रभान उर्फ चन्द्रसिंह पुत्र हरनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूँ)

2

3 तेजाराम पुत्र हरनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

4 रघुनाथ पुत्र हरनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2009
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी
शीर्षक तोताराम बनाम पुर्णमल वगैरह दावा
बाबत अधिकार, घोषणा एवं दुरूस्ती राजस्व
रिकार्ड धारा 88 व 91 राजस्थान टे. एक्ट
मु.न. 145/2004

उपस्थिति :

1. श्री संजय सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर

-निर्णय-

दिनांकः– 8.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 145/2004 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद अधिकार घोषणा एवं दुरस्ती राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 1368, 1367 ग्राम बड़बर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 1237 रकबा 1.32 हैक्टेयर व भूमि खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.10 हैक्टेयर जिसके गत खसरा नम्बर 1367 व 1368 है इससे पूर्व उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1485 व 1486 थे। उक्त भूमि पहले उदमी पुत्र मंगतु धोबी के नाम से दर्ज थी। उसने बाद यह कस्टोडियन व सरकार में आ गई। अपीलांट के पिता रामजीलाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 के पिता हरनारायण, रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के पिता गणेश ने तहसील में पैसे जमा करा कर दिनांक 27.08.1968 को सनद प्राप्त की। उक्त भूमि का नामान्तकरण जरिये सनद हरनारायण 1/4 रामजीलाल के 1/4 व गणेश के 1/2 दर्ज किया गया। इस प्रकार उपरोक्त भुमि अपीलांट के पिता रामजीलाल व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 के पिता हरनारायण व रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के पिता गणेशा की स्वअर्जित सम्पति है। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद सभी का भुमि पर कब्जा काश्त है। भुमि खसरा नम्बर 1237 रकबा 1.32 हैक्टेयर थी जो गणेशा के कब्जे में थी जो उसके हिस्से के हिसाब से 0.11 हैक्टेयर अधिक थी। उक्त

मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

4

खसरा नम्बर 1237 गत खसरा नम्बर 1367 की 0.11 हैक्टेयर भुमि को निकालकर 1.21 हैक्टेयर का खाता रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के नाम अलग कर दिया गया। जिसका कोई विवाद नहीं है। शेष बची भुमि खसरा नम्बर 1237/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 2 रकबा 1.21 हैक्टेयर भुमि का इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड के पुर्णमल, लेखु कन्हैयालाल, बसेसर पि. रामजीलाल हिस्सा 1/2, तोताराम, चन्द्रसिंह, तेजाराम पिता हरनारायण हि. 1/2 दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने यह गलत तथ्य प्लीड कर विचारण न्यायालय में दावा पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 1368 हाल खसरा नम्बर 1238 रकबा 1.10 हैक्टेयर के एकांकी खोतदार काश्तकार है तथा भुमि खसरा नम्बर 1368 रकबा 1.10 हैक्टेयर व खसरा नम्बर व खसरा नम्बर 1367 रकबा 0.11 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.21 हैक्टेयर भूमि में उन्हें खातेदार काश्त घोषित किया जावे तथा अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 का नाम विलोपित किया जावें। विचारण न्यायालय ने लोक अदालत में बगैर किसी दस्तावेज व गैर किसी साक्ष्य के उक्त आराजी में से अपीलांट का नाम विलोपित करने का आदेश किया है जो विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने दावा का निर्णय लोक अदालत में किया है। लोक अदालत काम तलब दोनो पक्षों को आपसी सुलह द्वारा समझाकर दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय करना होता है। चाहे वे दावे में एक्स पार्टी ही क्यों ना हो। विचारण न्यायालय को पत्रावली लोक अदालत में रखने की सूचना जरिये नोटिस लोक अदालत अलग से अपीलांट/प्रतिवादीगण को दी जानी चाहिए थी बाद मे दोनों पक्षो को सुनकर समझाकर लोक अदालत में फैसला करना चाहिए था। इस प्रकरण में तो वादी स्वयं ही लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के खिलाफ जाकर निर्णय किया है। अपील जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। दौराने सुनवाई अपीलांट व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा दो वर्ष की देरी से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य एवं पक्षकारों के मध्य पूर्व में निर्णित वाद संख्या 162/1997 निर्णय दिनांक 05.07.1999 का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2021 एचसी पेज 226, आरबीजे 2019 एचसी पेज 658, आरबीजे 2019(2) एचसी पेज 866, डीएनजे 2016(1) एचसी पेज 201, आरआरटी 2022(1) एससी पेज 165, आरआरटी 2015(1) एचसी पेज 232 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। दौराने सुनवाई अपीलांट व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट द्वारा दो वर्ष की देरी से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य एवं पक्षकारों के मध्य पूर्व में निर्णित वाद संख्या 162/1997 निर्णय दिनांक 05.07.1999 का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 8.7.24 .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर